कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां

E-Mail : eewrdiv3baran@gmail.com - Phone No : 7453-237209

क्रमांक/अअ/ज.स.–III/ 2019–20/ 682 दिनांक/ 18.6.19

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
वन विभाग, बारां।

विषय :– अहमदी लघु सिंचाई परियोजना की दांयी मुख्य नहर तथा माईनर के निर्माण में आने वाली वन भूमि अनापत्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भ :– श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर की ई.डी.एस. दिनांक 15.02.2019 एवं आपका पत्रांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/19–20/3691 दिनांक 18.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 3432 दिनांक 11.03.2019 से प्रेषित जवाब में ई.डी.एस. के बिन्दु संख्या 2 एवं 4 में पाये गये आक्षेपों की पालना निम्नानुसार की गई है :–

ई.डी.ए.स. बिन्दु संख्या आक्षेप विवरण	पालना
ई.डी.एस. बिन्दु संख्या –2 के तहत प्रस्तावित वन भूमि की एवज में प्राप्त वैकल्पिक भूमि की के.एम.एल. फाईल सही नही है जिस कारण प्रस्तावित वैकल्पिक भूमि की के.एम. एल. फाईल में पक्की संरचना नजर आ रही है। अतः के.एम.एल. फाईल सही करा इस कार्यालय को प्रेषित करावे।	श्रीमान् के निर्देशानुसार अहमदी परियोजना की दांयी मुख्य नहर व माईनर के बदले राजस्व भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में दिनांक 26.04.2019 को इस विभाग के सहायक अभियन्ता श्री गणेश कुमार, वन विभाग के सर्वेयर श्री लोकेश कुमार, वन विभाग छीपाबड़ौद श्री गोबरी लाल गुर्जर, सहायक वनपाल एवं श्री रमेश गढ़वाल, वनरक्षक द्वारा ग्राम पीपल्या चौकी, तहसील छीपाबड़ौद के राजस्व खसरा नम्बर 56/7 बीघा 13 बिस्वा, 62/13 बीघा 7 बिस्वा, 120/06 बिस्वा, 121/11 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा का संयुक्त मौका देखा गया जिसमें खसरा नम्बर 56 में बाड़ व कच्चा रास्ता, खसरा नम्बर 62 में कच्चा मकान व बाड़ा पाया गया तथा खसरा 120 व 121 अतिक्रमण मुक्त पाये गये। इस क्रम में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बारां को श्रीमान् के पत्र क्रमांक 4221–25 दिनांक 06.05.2019 द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही बाबत् निवेदन किया गया है।
ई.डी.एस. बिन्दु संख्या – 4 में आपके द्वारा विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण एव के.एम.एल. फाईल उपलब्ध नही करायी गई है जो उपलब्ध करावें।	पालना कर दी गई है।

(एम.के. गोयल)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां

D:\DIVISION III\EXN Sir\latter New.doc701